भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-399
सोमवार, 24 जून, 2019/3 आषाढ़, 1941 (शक)

श्रम योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता

399. श्री कनकमल कटाराः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान श्रम संबंधी विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राजस्थान को प्रदत्त वित्तीय सहायता का वर्ष/योजना-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित श्रमिकों की संख्या वर्ष/योजना-वार कितनी है;
(ग) क्या राज्य सरकार ने श्रमिकों हेतु लागू योजनाओं/कार्यक्रमों में अपने प्रयासों में मदद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है; और
(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ) मंत्रालय चार केंद्र-प्रायोजित योजनाओं, नामतः रोजगार संवर्धन योजना (अन्यथा सक्षम व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र), अजा, अजजा तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु अध्यापन एवं मार्गदर्शन (अ. जातियों एवं अ. जनजातियों हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र), प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) तथा राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), का कार्यान्वयन कर रहा है।

राज्यों को निधियां एनसीएस के विभिन्न घटकों के अंतर्गत आदर्श करियर केंद्रों की स्थापना करने एवं रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़ने से संबंधित प्रस्तावों के लिए जारी की जाती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को जारी की गई निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(रु. लाख में)

योजना का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	योग
राष्ट्रीय करियर सेवा	272	0	0	272

*****